IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - जालोर (343041)

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25

UDYAM-RJ-19-0033346

Www.MarwadkaMitra.in

मारवाड़ का मित्र

सहकारी आंदोलन को समर्पित मारवाड़ आंचल से प्रमुख हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर (जालोर) से प्रकाशित हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

प्रकाश वैष्णव -प्रकाशक/संपादक 9602473302

वर्ष 23 | अंक 17 | सांचौर, सोमवार, 1 सितंबर 2025 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव | मूल्य वार्षिक 500 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

एक दशक से नहीं हुए 73 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों और 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों, 19 भूमि विकास बैंकों, 1558 ग्राम सेवा सहकारी समितियां के चुनाव

सहकारी संस्थाओं के चुनाव : एक दशक से प्रक्रिया जारी, कष्ट हैं तो 'भुगतो'

फॉलो-अप

मारवाड़ का मित्र
प्रकाशित खबर

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । देश के लोकतंत्र में अधिकांश संस्थाओं के जनप्रतिधियों के पदों पर चुनाव कराने का पांच वर्ष का कार्यकाल तय है, लेकिन सरकार कई महत्वपूर्ण पदों के चुनाव पांच वर्ष बाद भी नहीं करा सकी है। प्रदेश में 1558 ग्राम सेवा सहकारी समितियां, 73 क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, 19 भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन एवं 29 सीसीबी के डायरेक्टर एवं चेयरमैन जैसे महत्वपूर्ण पदों के चुनाव 2011-12 में हुए थे। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद प्रदेश में भाजपा ने पांच वर्ष राज कर लिया, लेकिन इन पदों पर चुनाव नहीं करा पाई। इसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसने केवल ग्राम सेवा सहकारी समितियों सहित कछेक क्रय-विक्रय सहकारी समितियां एवं उपभोक्ता होलसेल भंडार की चुनावी प्रक्रिया वर्ष 2022 में संपन्न करवाई । अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बने दो साल हो गए, लेकिन इन संस्थाओं के महत्वपूर्ण पदों के चुनाव की कोई सुगबुझाहट नहीं हुई है। सरकार ने इन संस्थाओं में चुनाव कराने की बजाय उच्च पदों पर सहकारिता सेवा के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर उनको दोहरा लाभ दे रखा है। वहीं आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इन संस्थाओं में प्रदेश में करीब ढाई-तीन वर्ष पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सरकार इन चुनावों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। जबकि विधानसभा में सरकार ने जवाब देते हुए कहा हैं कि सहकारी संस्थाओं की निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया हैं । यानि यह प्रक्रिया और कितने दिन चलेगी ? इसका जवाब किसी के पास नहीं हैं । ऐसे में यदि किसानों को कोई कष्ट हो रहा हैं, तो उसे भुगते..। खास बात तो यह है कि ये सभी पद किसानों से जुड़े हुए हैं। इनके प्रतिनिधि, पदाधिकारी अधिकांशतया किसान ही चुने जाते हैं।

फैक्ट फाइल

प्रदेश की स्थिति

1. प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियां - 8258
2. प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां - 235
3. प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंक - 29
4. प्रदेश में भूमि विकास बैंक - 36
5. प्रदेश में शीर्ष सहकारी संस्था - 23

अधिकांशतया बंद रहते हैं दफ्तर

73 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं 17 भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन की जगह सरकार ने आरसीएस स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर रखा है। ये अधिकारी अधिकांश समय अपने ही कार्यालय के कामकाज में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे में वे अपने अतिरिक्त चार्ज वाले पदों पर समय नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि इन कार्यालयों पर अधिकांशतया ताला ही लटका रहता है।

यहां भी सैंकड़ों हैं पद

प्रदेश में 8 हजार 258 ग्राम सेवा सहकारी समितियां में से 6625 के चुनाव वर्ष 2022 में संपन्न हो चुके हैं । इसके अलावा, 235 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में से 157 के चुनाव अब तक हुए हैं । जबकि चुनाव से वंचित ग्राम सेवा सहकारी समितियां में कार्यकाल पूर्ण होने वाला संचालक बोर्ड एवं क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में प्रशासक की नियुक्ति कर रखी हैं । यही हालात प्रदेश की 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी संस्थाओं में बने हुए हैं ।

चुनाव कराना सरकार की व्यवस्था है

प्रदेश के अधिकत्तर जिलों के सहकारिता विभाग इकाई रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जीएसएस से लेकर केवीएसएस एवं कुछ उपभोक्ता भंडार के चुनाव दो साल पहले संपन्न हुए । जबकि निर्वाचन से ड्यु एवं निर्वाचन योग्य जिला स्तरीय सहकारी संस्थाओं से लेकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव करवाने को लेकर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को सूचना भिजवाई जा चुकी हैं । कई निर्वाचन योग्य सहकारी संस्थाओं में जन प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बड़े पदों पर आरसीएस स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर रखा है। 1558 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पुराना बोर्ड ही काम कर रहा है। अब कब चुनाव होंगे, यह तो सरकार का ही निर्णय है।

किसानों को मिलता हैं प्रतिनिधित्व का मौका

राज्य में 8 हजार 258 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में 12 संचालक मण्डल सदस्यों का चुनाव होता है। ये सदस्य मिल कर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सरकार ने कहीं पर दो ग्राम पंचायतों को मिला कर ग्राम सेवा सहकारी समिति बना रखी है तो कहीं पर एक ग्राम पंचायत का इलाका है। अध्यक्ष पूरी ग्राम सेवा सहकारी समिति के इलाके का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्षों की संख्या ही 8258 बन जाती है। ऐसे में सवा 8 हजार लोगों को जन प्रतिनिधि बनने का मौका मिलता। यही नहीं प्रदेश में 235 क्रय विक्रय सहकारी समितियां भी है। इन सहकारी समितियों के चेयरमैन का पद भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सामान्यतया एक उपखण्ड पर एक ही क्रय-विक्रय सहकारी समिति गठित है। पूरे प्रदेश में 235 सहकारी समितियां हैं। लेकिन सरकार ने 73 केवीएसएस के चेयरमैन पदों पर भी आरसीएस स्तर के अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर पद सौंप रखे हैं। इसी प्रकार प्रदेश की 23 शीर्ष स्तरीय सहकारी संस्थाओं, 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित 17 भूमि विकास बैंकों में भी चेयरमैन का पद भी प्रशासकों के हाथों में ही है। जबकि भूमि विकास बैंकों के चेयरमैन व सीसीबी बैंकों के डायरेक्टर राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद माने जाते हैं।

रोवाडा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रोवाडा

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

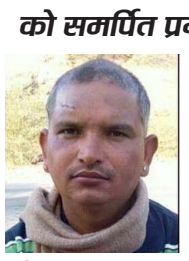

International Year of Cooperatives 2025 Cooperatives Build a Better World

परबतसिंह
अध्यक्ष

वीराराम कुमावत
व्यवस्थापक

किसानों से अपील
- अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें
- पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार

30 दिन में होगा पंजीकरण, सदस्यों को ही मिलेगा ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य सरकार राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम में 24 साल बाद बदलाव करने जा रही हैं । यानि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के स्थान पर सहकारी संस्थाओं के संचालन के लिए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2025 लाया जा रहा हैं । प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसका ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय में चार माह पहले ड्राफ्ट का प्रजेंटेशन दिया गया था। अभी 60 दिन की अवधि में सहकारी समितियों का पंजीकरण करने का प्रावधान है, इसे घटाकर 30 दिन किया जाना प्रस्तावित है। ड्राफ्ट में सहकारी समितियों की परिभाषा का विस्तार किया गया है। पहले सहकारी समिति का कार्य क्षेत्र सदस्यता और भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब समिति अपने एवं सदस्यों के उत्पादों का विक्रय करने के लिए कार्य क्षेत्र से बाहर अपनी दुकानें और आउटलेट्स स्थापित कर सकेंगी। अभी वित्तीय बैंक से तात्पर्य ऐसी सहकारी समिति से है, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं को धन उधार देना है। इसमें भूमि विकास बैंक भी शामिल है। अब इसमें संशोधन करके अन्य संस्थाओं की जगह अपने सदस्य और सदस्य संस्थाओं को धन उधार देना प्रस्तावित किया गया है। इससे गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

सदस्यता से इनकार नहीं कर सकेगी सोसायटी

नया अधिनियम लागू होने पर कोई भी सोसायटी बिना पर्याप्त कारण के किसी योग्य व्यक्ति को सदस्यता देने से इनकार नहीं कर सकेगी। यदि सोसायटी सदस्यता देने से इनकार करती है तो योग्य व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन कर सकेगा। रजिस्ट्रार की ओर से आवेदन 15 दिन की अवधि में संबंधित सोसायटी को भेजा जाएगा। आवेदक को 30 दिन में निर्णय के बारे में सूचित नहीं करने पर वह सोसायटी का सदस्य मान जाएगा। इस पर कोई सवाल उठने पर रजिस्ट्रार सभी पक्षों को सुनकर 30 दिन में निर्णय करेगा।

नवीन सहकारिता कोड को सरल बनाए

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि नवीन सहकारिता कोड को सरल, व्यावहारिक और जनहितेषी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस नए कोड में डिजिटल गवर्नेंस, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन, सहकारी समितियों के नियमित चुनाव, ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता तथ बोर्ड के चुनाव में सुधार और समयबद्ध निर्णय प्रणाली जैसे प्रावधान शामिल किए जाएं। शर्मा कहा अधिकारी सुझाव दें, जिसस सहकारी समितियों को पारदर्शी एवं आर्थिक रूप से मजबूत बना जा सके।

छह राज्यों के अधिनियमों का अध्ययन

अधिनियम का तैयार करने से पहले मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, केरल कर्नाटक राज्यों के सहक अधिनियमों का अध्ययन किय इसके लिए ब्रेन स्टोर्मिंग सेशन आयोजित किया गया।

2 अक्टूबर से प्रारंभ होगा सहकार सदस्यता अभियान

जयपुर । राज्य में बजट घोषणा के तहत पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन को लेकर राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर सहकार सदस्यता अभियान चलाया जाएगा । इस संबंध में सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती शिल्पी पाण्डे ने एक पत्र समस्त उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को जारी किया हैं जिसके मुताबिक, पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों पर बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन के लिए सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से प्रारम्भ किया जाएगा । जिसके क्रम में कार्ययोजना एवं अभियान स्थल पर कैम्प आयोजित कर नवीन पैक्स के गठन के लिए अधिक से अधिक प्रस्ताव तैयार करने एवं सदस्यता राशि प्राप्त करना के अलावा समिति में विशेष रूप से युवाओं एवं महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया हैं । साथ ही, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां को अभियान की समीक्षा करने एवं प्रबंध निदेशक सीसीबी को अभियान में ऋण पर्यवेक्षकों एवं व्यवस्थापक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया हैं ।

कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव नहीं हैं विचाराधीन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों का नियोक्ता निर्धारण कर कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं । यह जानकारी सहकारिता विभाग ने विधानसभा में अतारांकित प्रश्न के प्रतिउत्तर में दी हैं । सोलहवीं विधानसभा के तृतीय सत्र के दौरान विधायक अशोक कुमार कोठारी ने प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने तथा वर्ष 1991 तक लागू कॉमन कैडर ऑथोरिटी की व्यवस्था को पुनः बहाल करने से संबंधित अतारांकित प्रश्न पूछा । जिस पर सहकारिता विभाग ने जवाब दिया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। साथ ही, विभाग ने बताया कि प्रदेश में 1991 तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों के लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी व्यवस्था लागू थी और वर्तमान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिक संबंधित समिति के ही कार्मिक है। इनके लिए कॉमन कैडर ऑथोरिटी लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली सहकारी समितियां राज्य स्तर पर होंगी पुरस्कृत

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 तथा 'सहकार से समृद्धि' परिकल्पना के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली राज्य की पैक्स/लैम्प्स को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बताया कि पुरस्कार का प्रावधान किए जाने से सहकारी समितियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी और वे पूरी क्षमता से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की दिशा में अग्रसर होंगी। श्रीमती राजपाल ने बताया कि एनसीडी पोर्टल पर प्रदर्शित अंकों के आधार पर रैंकिंग में वरीयता प्राप्त करने वाली पैक्स/लैम्प्स को वर्ष के अंत में नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 51 हजार रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 31 हजार रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली समिति को 21 हजार रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। साथ ही, 15 समितियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 5100 रुपये की राशि प्रति पैक्स प्रदान की जाएगी।

पुरस्कार की पात्रता के लिए यह अनिवार्यता

पुरस्कार की पात्रता के लिए यह अनिवार्य होगा कि समिति द्वारा न्यूनतम तीन गैर ऋण गतिविधियां कर उनसे आय अर्जित की गई हो, वर्ष 2024-25 का लेखा परीक्षण करवा लिया गया हो तथा बहुराज्यीय सहकारी समितियों बीबीएसएसएल, एनसीओएल एवं एनसीईएल की सदस्यता ली गई हो। एनसीडी पोर्टल पर पांच घटकों (पहचान, गतिविधियां, भौतिक संरचना, वित्तीय प्रदर्शन एवं लेखा परीक्षण) के अनुसार 100 अंकों में से प्राप्तांकों के आधार पर सहकारी समितियों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से पुरस्कार हेतु समितियों का चयन किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए जारी विज्ञप्ति को किया प्रत्याहरित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर एवं 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्रबंध निदेशक) के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए 12 मई 2011 को विभाग की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की हुई थी । जिसको हाल ही में सहकारिता विभाग पंजीयक ने तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया है। साथ ही, आदेश में बताया गया हैं कि, यह आदेश सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार से अनुमोदित है।

सहकारिता विभाग पंजीयक ने विज्ञप्ति क्रमांक: फा.46(30) सविरा/बैंक-2/2004-पार्ट-6, 12 मई 2011 को तत्काल तत्काल प्रभाव से किया प्रत्याहरित

जनता शिवगंज बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि.

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

International Year of Cooperatives 2025 Cooperatives Build a Better World

नारायणसिंह
अध्यक्ष

रमेश कुमार माली
व्यवस्थापक

किसानों से अपील
- अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें
- पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

विधानसभा में जवाब

राजस्थान में उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के 41 कार्यालय संचालित, इनमें से 16 के पास ही हैं अपना भवन

सहकारिता विभाग के अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय के पास भी नहीं हैं अपना भवन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान में सहकारिता विभाग को हर साल करोड़ों का बजट दिया जाता हैं । लेकिन सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के निर्माण को लेकर कभी भी स्वीकृति जारी नहीं हो पाती हैं और नहीं स्थानीय स्तर पर जमीन आवंटन की कोई कवायद हो पाती हैं । जिससे सालों से जिला मुख्यालय पर सहकारिता विभाग के अधिकांश उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय किराए के भवनों में संचालित हो रहें हैं । दरअसल, विधायक श्रीमती गीता बरवड़ ने राजस्थान में उप रजिस्ट्रार कार्यालयों के स्वयं के अथवा किराये के भवनों से संबंधित प्रश्न 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में किया था, जिसके प्रतिउ ार में सहकारिता विभाग द्वारा लिखित जवाब दिया कि राजस्थान में जिला मुख्यालय पर उप रजिस्ट्रार एवं सहायक रजिस्ट्रार के 41 कार्यालय संचालित हैं, इनमें से महज 16 के पास ही अपना भवन हैं । जबकि 25 सहायक/उप रजिस्ट्रार कार्यालय ऐसे हैं, जो किराये के भवन या केवीएसएस में तथा अन्य जगह संचालित किए जा रहें है। हालांकि सहकारिता विभाग की ओर से जालोर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय भवन से संबंधित सूचना विधायक के मूल सवाल के जवाब में नहीं दी गई हैं ।

16 कार्यालय के पास हैं भवन

विधानसभा में भोपालगढ़ विधायक श्रीमती गीता बरवड़ के सवाल पर सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जैसलमेर, अजमेर, टोंक, नागौर, उदयपुर, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर स्वयं के भवन में संचालित हैं । इसी प्रकार, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर, दौसा का कार्यालय सहकार भवन में संचालित हो रहा हैं ।

जालोर जिले में संचालित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय

25 कार्यालय के पास नहीं भवन

विधानसभा के तारांकित प्रश्न के जवाब में सहकारिता विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बाड़मेर, पाली, सिरोही, श्रीगंगानगर, चूरू, अनुपगढ़, बूंदी, झालावाड़, धौलपुर, खैरथल, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, ब्यावर, भीलवाड़ा, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़ के अलावा सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बालोतरा, फलौदी, डीग, कोटपुतली बहरोड़, सलूम्बर के पास अपना कार्यालय नहीं हैं ।

तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर निर्माण की स्वीकृति

विधायक के मूल सवाल पर सहकारिता विभाग ने लिखित में बताया कि कार्यालय निर्माण के लिए इकाई रजिस्ट्रार स्तर से संबंधित जिला कलेक्टर से सहकार भवन के लिए भूमि आवंटित करवाने के उपरांत संबंधित अतिरिक्त रजिस्ट्रार खण्ड की अनुशंषा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने एवं तत्समय उपलब्ध बजट के आधार पर निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही की जाती हैं।

असंतुलन के बीच मानव संसाधन की कमी से जूझती सहकारी समितियां

सहकारी समितियों में स्थाई व्यवस्थापक नहीं, क्योंकि रिक्त पदों पर 37 सालों से नहीं हो पाई भर्ती, ऐसा इसलिए भी कि 'जिम्मेदार' नींद में हैं।

जोधपुर संभाग में कार्यशील ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालन की कहानी दुखभरी हैं । यहां मानव संसाधनों की कमी हैं । ग्राम सेवा सहकारी समितियों में असंतुलन बढ़ता जा रहा हैं और व्यवस्थापक के रिक्त पदों को भरने की भनकार तक नहीं हैं । जोधपुर संभाग में जिला स्तरीय स्क्रीनिंग चयन कमेटियों द्वारा अपात्र लोगों के स्थाईकरण की प्रक्रिया में बंदरबांट पिछले सालों से होती रही हैं । हकीकत यह है कि 'सहकार से समृद्धि' के दौर में ग्राम सेवा सहकारी समितियां में जितनी योजनाओं की आवाजाही है। वह भी किसान एवं आम आदमी को नसीब नहीं हैं । आधी से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां तालाबंदी में बंधी हुई हैं । कभी कभार फसली ऋण का टारगेट पूरा करने और खुद की लक्ष्यपूर्ति के लिए विभागीय अधिकारी सहकारी समितियों की ओर रुख करते हैं । दरअसल, गांवों में हर पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन और संचालन के बीच सिस्टम में बैठे नीति निर्माता दूरदर्शिता से काम करने में चूक गए हैं या कह सकते हैं कि उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। समय रहते वे तय नहीं कर सके कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन करने के लिए मानव संसाधन और संस्थापन व्यय के लिए बजट का प्रावधान कहां से किया जाएं? समस्या हल करने के नाम पर वे ऐसी प्लानिंग बताते हैं, जिसका पूरा होना लगभग नामुमकिन लगता है। सवाल यह है कि जो काम आज किया जा सकता है, उसे करने में आनाकानी क्यों की जाती है। हकीकत यह है कि वर्तमान में मानव संसाधनो की कमी के चलते ग्राम सेवा सहकारी समितियों का संचालन करने के लिए अकुशल तंत्र को जद्दोजेहद करनी पड़ती है। सहकारी समितियों में मानव संसधान की कमी पूरी करने और संचालन में आ रही समस्याओं को दूर करने से बचने के लिए भविष्य की प्लानिंग का बहाना बना लिया जाता है। भविष्य की प्लानिंग हो, लेकिन अभी सहकारी समितियों को असंतुलन से राहत कैसे मिले, इसके लिए भी काम करना होगा। इसके लिए भारी-भरकम सहकारिता अमले को अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए निरंतर प्रयास कर सहकारी समितियों में बढ़ते असंतुलन को रोकना होगा । उन्हें समितियों में बढ़ते असंतुलन की वास्तविक जगह पहुंचने की व्यवस्था करनी होगी। जरूरत के अनुसार ऋण व्यवसाय पर ध्यान देना होगा इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अवधिपार ऋणों की वूसली की समस्या कम की जा सकती है। सख्ती हर दिन सतत रूप से करनी होगी और स्व स्फूर्त तंत्र की बुनियाद डालनी होगी। **व्यवस्थापकों की भर्ती एक दिन जरुर होगी.....जैसे बहाने नहीं चलेंगे।**

अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए गांवों का विकास

अशोक भगत
(यह लेखक के अपने विचार है)

"स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं. भारत की संस्कृति ऋषि, कृषि और पशुपालन के साथ ही हस्तशिल्प पर आधारित रही है. निःसंदेह भारत की संस्कृति के मूल तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता ही है. भारत के महान अर्थशास्त्री 'चाणक्य' ने बताया है कि जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित होता है, उसका जीवन कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता और वह चलती-फिरती लाश के समान होता है. इसलिए परंपरा में आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन और इसके माध्यम से समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार व गांव की व्यवस्था प्रशासित और शासित होती रही है."

आधुनिक भारत में स्वावलंबन, ग्राम विकास और आत्मनिर्भरता पर सबसे अधिक जोर महात्मा गांधी ने दिया. उनके बाद इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य विनोबा भावे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ राम मनोहर लोहिया, दत्तोपंत ठेंगड़ी और धर्मपाल जैसे चिंतकों ने भारतीय समाज को प्रबोधित किया. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान केंद्र सरकार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दे रही है. गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार ने दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के क्रियान्वयन के लिए देशभर में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है. संस्कृति की प्रकृति वहां के वातावरण पर आधारित होती है. भारत की जलवायु समशीतोष्ण है. इसलिए यहां की संस्कृति पर उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है. आज हम जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, वैसी खेती के लिए हमारे पूर्वजों ने एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति विकसित की. उन्होंने मिट्टी, पानी, जीवों, वृक्षों की सुरक्षा, यहां तक कि कीट-पतंगों की सुरक्षा पर भी संवेदनशील और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया. यदि इस प्रकार की सुरक्षित खेती को आत्मसात कर उसमें नवीन प्रयोग सम्मिलित किये जायें, तो विकास की बेहतर अवधारणा प्रकट होगी. व्यक्ति, समाज, देश, दुनिया और ब्रह्मांड, सब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. व्यक्ति समष्टि का एक छोटा रूप है. इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया ब्रह्मांड तक को प्रभावित करती है. इसलिए महात्मा गांधी ने अहिंसक कार्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया. वे बड़े-बड़े हिंसक कारखानों के विरोधी थे. उन्होंने कुटीर उद्योग को अहिंसक उद्योग बताया. उन्होंने मानव के विकास की परिभाषा को ही बदल कर प्रस्तुत किया. आज दुनिया जहां खड़ी है, वहां कई समस्याएं उसको घेरे हुए है. हालांकि उत्तर आधुनिक और भौतिकवादी चिंतक इस बात से सहमत नहीं हैं. स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता तभी संभव है, जब व्यक्ति अपने कौशल का विकास कर अपने कौशल के माध्यम से आवश्यकता की सभी चीजों को प्राप्त करे. ईशावास्योपनिषद में स्पष्ट श्ब्दों में कहा गया है कि 'जो व्यक्ति त्याग के बिना भोग करता है, वह मानव के आदर्श मूल्य के खिलाफ है. इसलिए भोग त्याग की कसौटी पर ही होना चाहिए.' भारत में त्याग के साथ भोग करने की परंपरा अनादि काल से रही है. इस कारण भारत की ग्रामीण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ और सुव्यवस्थित थी कि उस पर बाहरी किसी शक्ति का प्रभाव ही नहीं पड़ता था. भारत में यह व्यवस्था लंबे समय तक रही, पर बाहरी आक्रांताओं के कारण व्यवस्थाएं टूटीं और उसका परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्री गांव को कम करके आंकते हैं. उन्हें बड़े-बड़े कल-कारखानों एवं उद्योगों पर भरोसा होता है. उनका मानना है कि इन कल-कारखानों से ही विकास संभव है और देश की प्रगति होती है, पर कोरोना ने इस चिंतन को झूठा साबित कर दिया. जब बड़े-बड़े उद्योग बंद हो गये, तब भारत को भारत के गांवों ने ही बचाया. करोड़ों की संख्या में कामगार जब गांव आये, तब गांव ने ही उनका संपोषण और संवर्धन किया. यह साबित करता है कि देश के गांव यदि स्वावलंबी और मजबूत हैं, तो अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहेगी. यदि ग्रामीण क्षेत्र आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं हैं, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो देश की अर्थव्यवस्था कभी मजबूत नहीं हो सकती. अभी हाल ही में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ रघुराम राजन ने कहा कि 'भारत को चीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अब विनिर्माण का क्षेत्र धीरे-धीरे सिकुड़ने वाला है और सेवा के क्षेत्र का विस्तार होने वाला है, इसलिए भारत को सेवा क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए.' यह बयान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की ओर इशारा करता है, साथ ही, एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की भी वकालत करता है. हमें नहीं भूलना चाहिए कि कौशल और तकनीक वह ताकत है, जो व्यक्ति, समाज और देश की दिशा बदल सकता है. दुनिया का कोई भी देश अपने नौजवानों की कार्य क्षमता और कौशल की बदौलत ही मजबूत बनता है. हमें भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सुदृढ़ीकरण की योजना बनानी चाहिए. अपनी युवा ताकत को आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना चाहिए.

किसानों की मिटेगी चिन्ता, अन्न की रूकेगी बर्बादी पैक्स की होगी आय

राज्य में बड़े स्तर पर विकसित हो रही अन्न भण्डारण क्षमता

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान विषम परिस्थितियों में भी मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। लेकिन मौसम की बेरूखी और भण्डारण क्षमता के अभाव में कई बार उनकी उपज बर्बाद हो जाती है। किसानों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी क्षेत्र में बड़े स्तर पर गोदामों का निर्माण कर अन्न भण्डारण क्षमता विकसित की जा रही है। 'सहकार से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना का संचालन किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ पूर्ण रूप से राजस्थान के किसानों को मिले और उनकी उपज सुरक्षित रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना के अंतर्गत उत्पादन की तुलना में अपेक्षाकृत कम भण्डारण क्षमता वाले जिलों को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदाम एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अन्न भण्डारण हेतु 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100, 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 एवं 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के निर्माण हेतु 45 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी 500 मीट्रिक टन क्षमता के 48 गोदामों के निर्माण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। योजना के अंतर्गत अन्न भण्डारण हेतु वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 1 लाख 61 हजार 500 मीट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजन का लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन क्षमता के घोषित 100 गोदामों में से 36 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विगत 17 जुलाई को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा इनमें से 24 गोदामों का लोकार्पण भी किया जा चुका है। वर्ष 2024-25 की ही बजट घोषणा के अंतर्गत 100 मीट्रिक टन क्षमता के 50 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है। इसी प्रकार, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में घोषित 500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 गोदामों में से 47 गोदामों तथा 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों में से 47 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। साथ ही, बजट घोषणा वर्ष 2025-26 अन्तर्गत घोषित 100 मीट्रिक टन क्षमता के 100 जीर्ण-शीर्ण गोदामों के पुनर्निर्माण के अन्तर्गत 82 गोदामों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

गोदामों को किराये पर दिये जाने के संबंध में एसओपी जारी

इन गोदामों को प्राथमिकता से किराये पर लिए जाने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं नैफेड एवं एनसीसीएफ द्वारा आश्वासन पत्र प्रदान किया गया है। सहकारिता विभाग द्वारा भी सरकारी विभागों/संस्थाओं को प्राथमिकता देने के साथ-साथ गोदामों को निजी क्षेत्र को भण्डारण हेतु किराये पर दिये जाने का विकल्प खुला रखा है, जिसके संबंध में विभाग द्वारा एसओपी जारी की गई है।

गोदामों के किराए से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बढ़ेगी आय

नये गोदामों के निर्माण से किसानों को कम दामों पर अपनी उपज बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास पर्याप्त भण्डारण व्यवस्था उपलब्ध होने से अनाजों की ढुलाई में आने वाली लागत भी कम होगी। वहीं, नये भण्डारणों के निर्माण से अनाज की बर्बादी रूकेगी और गोदामों के किराए से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आय भी बढ़ेगी। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत अनुदान दिए जाने संबंधी पहल को देश भर में सराहा जा रहा है।

सफलता की कहानी....

सहकारी आंदोलन की साख कायम रखने में क्रियाशील खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति

प्रकाश वैष्णव
Www.marwadkamitra.in

बाड़मेर । जहाँ तक नजर जाती हो दूर तक फैला थार मरूस्थल, शुष्क वातावरण, कठिन जीवन..... ऐसे में यहाँ पिछले 62 वर्षो से सहकारिता की पहचान बनी बाड़मेर जिले की खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति....। समिति अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन से सहकार से समृद्धि के विजन को बढ़ावा देकर उसमें सहयोग कर रही हैं । समिति का पंजीयन 45 सदस्यों के साथ 29 मार्च 1963 को हुआ था । समिति में निर्वाचित संचालक मण्डल सदस्य हैं और यहां अध्यक्ष हेमसिंह राठौड़, व्यवस्थापक हरीराम चौधरी, संचालक मण्डल सदस्यों के नेतृत्व एवं सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से समिति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रही हैं । समिति में 921 कृषक सदस्य हैं, जिनमें से 719 ऋणी एवं 202 अऋणी हैं । कुशल वित्तीय नियोजन से समिति ने 21 लाख रुपए की राशि बतौर हिस्सा पूंजी के रुप में विनियोजित कर

रखी हैं, वर्तमान में समिति की ओर से राज्य सरकार की ब्याज मुक्त योजना के तहत एक बारीय खरीफ सीजन में समिति कार्यक्षेत्र के ऋणी सदस्यों को 2 करोड़ 40 लाख का फसली सहकारी ऋण मुहैया कराया जा रहा हैं । समिति ने अपने कार्यव्यवहार से जैसा विश्वास जनता में पैदा किया हैं, उस विश्वास का प्रतिफल जनता ने भी समिति को बखूबी दिया हैं । यही कारण हैं कि विगत वर्षो से समिति निरंतर लाभ की स्थिती में हैं, और समिति का कुल संचित लाभ 13 लाख 51 हजार रुपए हैं । इतना ही नहीं समिति के लिए गर्व करने लायक बात हैं कि इन वर्षो में समिति ने शत-प्रतिशत वसूली का अनुकूलनीय उदाहरण प्रस्तुत कर सहकारी आंदोलन की अद्भूत छवी स्थापित कर अनूठी साख कायम की हैं ।

सीमावर्ती जिले की बाड़मेर सीसीबी कार्यक्षेत्र की खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने लिखी सहकारी आंदोलन की नई इबारत...। समिति का मंतव्य भावी समय में जनोपयोगी सेवाओं का समिति स्तर से मिले आमजन को अधिकाधिक लाभ ।

मात्र एक फीसदी एनपीए

खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने अपने कार्यक्षेत्र के खारा राठौड़ान, कोटड़िया तला, मिठड़ियां तला, पेमाणियों का तला, विश्नोईयों का तला, दलासर, रेबारियों की बस्ती, प्रहलादपुरा, बलवतसिंहपुरा, गगांणियों की ढाणी, झण्डसिंहपुरा ग्राम के निवासियों में सहकारिता की भावना को जमीनी स्तर तक उतार दिया हैं । इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता हैं कि समिति में 62 सालों में केवल 1 फीसदी एनपीए हैं । यू तों सीमावर्ती जिले में दर्जनभर ग्राम सेवा सहकारी समितियों हैं, किन्तु खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्रामीण जनजीवन के उत्थान के लिए अपने आप में अद्भुत है। साख उपल ध कराने जैसे पारम्परिक कामों के अलावा खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति ने बदलते परिदृश्य में स्वयं में भी युगानुकूल परिवर्तन किये हैं।

"खारा ग्राम सेवा सहकारी समिति 1963 से शुरू हुई थी। शुरू होने से अब तक तो सामान्य चली । पिछले सालों में केंद्र सरकार की सहकार से समृद्धि विजन में योजनाओं का कार्य समिति द्वारा शुरू किया गया। इससे हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला, जिससे हमे अच्छे वित्तीय संसाधन मिलेगें । आज समिति लाखों रुपए के संचित लाभ में हैं ।

-श्री हरिराम चौधरी, व्यवस्थापक

कंप्यूटराइजेशन कार्य के लिए समिति व्यवस्थापक सम्मानित

जिला मुख्यालय से 30 किमी दूर स्थिती इस समिति के सफलतम संचालन का द्योतक यह हैं कि केंद्र सरकार की पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत जिले में सबसे पहले पूर्ण रूप से डिजिटल होकर ऑनसिस्टम ऑडिट करवाने वाली खारा ग्राम सेवा सहकारी ही हैं। जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष में 4 मार्च 2025 को बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर द्वारा समिति व्यवस्थापक हरीराम चौधरी को सम्मानित भी किया गया था । इतना ही नहीं, समिति की ओर से समस्त प्रकार के जनपयोगी सेवाओं के लिये समिति द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। जिसमें बिजली, पानी, मोबाइल रिचार्ज, टिकट बुकिंग, जैसी सुविधायें प्रदान की जा रही है।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है । अतः मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 500/- ☐ दो वर्ष रु. 1000/- ☐ तीन वर्ष रु. 1500/- ☐ छह वर्ष रु. 3000/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details : Name: Marwad ka Mitra A/C No.: 11134027554 IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay 9602473302

सदस्यता हेतु → Mo. 9602473302, Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र

संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा, तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्र गोपालकों को वितरित किया ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । राज्य में गोपालकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से प्रारंभ राजस्थान सहकारी गोपाल

क्रेडिट कार्ड योजना से पात्र गोपालकों को लाभ मिल रहा हैं । इसी क्रम में केंद्रीय सहकारी बैंक की धुम्बड़िया शाखा कार्यक्षेत्र की नरसाना एवं धुम्बड़िया ग्राम सेवा सहकारी समिति के पात्र गोपालक रगाराम, धन्नाराम, नारायणराम, पारसाराम को सीसीबी प्रबंध निदेशक नारायणसिंह की मौजूदगी में ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया गया हैं । इस बारे में जानकारी देते हुए सीसीबी धुम्बड़िया शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार ने बताया कि शाखा कार्यक्षेत्र की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इस वित्त ीय वर्ष में 59 पात्र गोपालकों को 42 लाख 80 हजार का ऋण उपलब्ध कराया गया हैं । उन्होने कहा कि योजना के अंतर्गत गोपालक परिवारों को गाय/भैंस के लिए शैड, खेली निर्माण और चारा/बांटा सहित उपकरण खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। इस दौरान सीसीबी के मुख्य प्रबंधक नंदकिशोर सोनी, नरसाना पैक्स व्यवस्थापक डायाराम देवासी, रंगाला पैक्स व्यवस्थापक भंवरलाल चौधरी आदि मौजूद रहें

91 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता का आरोप

जयपुर । प्रदेश के श्रीगंगानगर स्थित 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति 4-ओ लखियां में 91 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं । इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय को एक शिकायती पत्र भेजकर बीकानेर खंड के स्थान पर अन्य खंड के सहकारिता सेवा के अधिकारी से राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के तहत जांच करवाने की मांग की गई हैं । दरअसल, 4-ओ ग्राम सेवा सहकारी समिति श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की श्रीकरणपुर शाखा कार्यक्षेत्र में संचालित हैं । यहां मिनी सहकारी बैंक का कार्य भी किया जा रहा हैं, जिसमें देनदारी एवं लेनदारी में निरंतर बढ़ते अंतर के कारण वित्तीय अनियमितता होने की आंशका लेकर शिकायत की गई हैं । साथ ही, दस्तावेजी प्रमाण के तौर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति 4-ओ में वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर 2023-24 तक संपन्न ऑडिट रिपोर्ट की बैंलेश सीट भी संलग्न की गई हैं । शिकायतकर्ता के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 में देनदारी एवं लेनदारी शास्तियों अंतर 38 लाख 57 हजार 640 रुपये था, जो साल-दर-साल बढ़ता हुआ 2023-24 में 91 लाख 22 हजार 462 रुपये तक पहुंच गया। 31 मार्च 2024 को समिति के मिनी बैंक की देनदारी 3 करोड़ 78 लाख 14 हजार 799 रुपये थी, जबकि लेनदारी केवल 2 करोड़ 86 लाख 92 हजार 337 रुपये थी। यह अंतर धन के दुरुपयोग और गबन की ओर स्पष्ट इशारा करता है। वही शिकायती पत्र में बताया गया है कि वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक, केवल 2017-18 को छोड़कर, समिति लगातार ऋणात्मक अंतर में रही । शिकायत में एक विशेष रूप से सदिग्ध प्रविष्टि का उल्लेख करते बताया गया कि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के करंट अकाउंट में 2017-18 के अंत में 86 लाख 15 हजार 247 रुपये का बैलेंस दिखाया गया, जो शिकायतकर्ता के अनुसार ऋणात्मक अंतर को छिपाने की कोशिश थी। आरोप है कि मिलीभगत से यह प्रविष्टि की गई। अब शिकायतकर्ता ने इस मामले की जांच राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के तहत करवाने की मांग उठाई हैं ।

सहकारी बैंकों में आय में वृद्धि के करने चाहिए प्रयास

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

उदयपुर । खंड के केंद्रीय सहकारी बैंकों की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन उदयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक संजय पाठक की अध्यक्षता में किया गया । जिसमें उदयपुर सीसीबी प्रबंध निदेशक ने डॉ. मेहजबीन बानों ने गत एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष की उपलब्धियों का संक्षिप्त परिचय दिया। जिसके पश्चात संजय पाठक ने बैठक एजेंडा अनुसार पैक्स कंप्यूटराइजेशन योजना की समीक्षा की। उन्होने उदयपुर संभाग बैंक कार्यक्षेत्र की गो-लाईव से शेष रही पैक्स को सितम्बर माह के अन्त तक गो-लाईव करने के लिए निर्देशित किया । साथ ही, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

में अधिकाधिक गोपालको एवं दुग्ध उत्पादक समितियों के आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए । उन्होने कहा कि भूमि विकास बैंको की ऋण वसूली के लिए एकमुश्त ऋण समझौता योजना लागू किया गया हैं । जिसमें भूमि विकास बैकों के पशुपालक ऋणी सदस्यों को गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत एक लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत करके उन्हे एकमुशत ऋण योजना से लाभांन्वित होने के लिए प्रेरित करें । इसके अलावा, म्हारो खातो म्हारो बैंक योजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को बैंक मित्र बनाकर खाते खुलवाने, नाबार्ड की वित्त पोषण योजना के तहत माईक्रो एटीएम क्रय कर इन दुग्ध उत्पादन समितियों को उपलब्ध करवाने, बैंकों की वित्तीय स्थिति का सुदृढ करने के लिए सभी सीसीबी को व्यक्तिगत ऋण, आवास ऋण, शिक्षा ऋण भी उचित ब्याज दर पर ग्राहको को उपलब्ध करवाने पर चर्चा की । उन्होने कहा कि सहकारी बैंकों में आय में वृद्धि के प्रयास करने चाहिए, जिसके लिए एसएचजी एवं जीएलजी समुहो को ऋण देने पर भी विशेष जोर दिया। वही शीर्ष सहकारी बैंक प्रबंध निदेशक द्वारा गिर्वा, भीण्डर एवं फतहनगर ब्लॉक के सात दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को माईक्रो एटीएम का वितरण किया। इस दौरान संभागीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार श्रीमती गुंजन चौबे सहित सहकारी बैंको के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे। बैठक के अन्त में सीसीबी उदयपुर प्रबंध निदेशक डॉ. मेहजबीन बानो ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने की 'सहकार से समृद्धि' की पहलों की समीक्षा

पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान कर रहा उल्लेखनीय कार्य

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । 'सहकार से समृद्धि' की पहलों को क्रियान्वित करने में राजस्थान उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि नवीन एम-पैक्स के गठन में राजस्थान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। साथ ही, राज्य ने कई नवाचार भी किए हैं, जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है। डॉ. भूटानी वीसी के माध्यम से 'सहकार से समृद्धि' के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पहलों की क्रियान्विति की समीक्षा कर रहे थे। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव

एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने बैठक में अवगत कराया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के बजट में घोषित 100 में से 76 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष गोदामों का निर्माण प्रगतिरत है। वहीं, वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 100 गोदामों में से 56 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक नैफेड द्वारा 68 एवं एनसीसीएफ द्वारा 49 गोदामों को किराये पर लेने हेतु आश्वासन पत्र दिया गया है। जिन पैक्स के पास गोदाम निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें भूमि उपलब्ध करवाने के लिए जिला कलक्टर्स से अनुरोध किया जा रहा है। सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. भूटानी ने कार्यों की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि जिन गोदामों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनका शीघ्र लोकार्पण करवाया जाए।

साथ ही, शेष गोदामों का हायरिंग एश्योरेंस प्राप्त करने के लिए भी प्रस्ताव बनाकर नैफेड और एनसीसीएफ को भिजवाया जाए। सहकारिता मंत्रालय इस संबंध में नैफेड एवं एनसीसीएफ के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान करेगा। उन्होंने सभी कार्यशील अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को ऑन बोर्ड कर एनयूसीएफडीसी की सदस्यता ग्रहण करवाने के निर्देश दिए।

11 अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों ऑन बोर्ड

श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। इसमें विभिन्न स्तरों पर गैप्स को दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं। ऑफलाइन ऑडिट के बाद हुई ऑनलाइन ऑडिट से आंकड़ों में आया अंतर दूर होने के बाद ऑनलाइन ऑडिट में तेजी से प्रगति होगी। उन्होंने बताया कि सहकारिता में सहकार के अंतर्गत 34 अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में से 11 ऑन बोर्ड हो चुके हैं जबकि, 6 बैंकों ने एनयूसीएफडीसी की सदस्यता हेतु आवेदन किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीन बहुराज्यीय संस्थाओं की सदस्यता के संबंध में भी राज्य की अच्छी प्रगति है। भारतीय बीज सहकारी समिति लि. की सदस्यता में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। साथ ही, एनसीओएल एवं एनसीईएल की सदस्यता भी राज्य की सभी पैक्स को दिलवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जीएसएस व केवीएसएस को इस संबंध में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका अच्छा रिस्पॉंस देखने को मिला।

मापदण्डों के अनुरूप रैंकिंग पैरामीटर्स पर खरा उतरने का करें प्रयास -प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता

पैक्स एवं केवीएसएस हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । सहकारी संस्थाएं उनसे की जाने वाली अपेक्षा के अनुरूप पारदर्शी तरीके से कार्य कर सदस्यों और किसानों का हित सुनिश्चित करें। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल ने कहा कि विभिन्न स्तर पर सामने आने वाले गैप्स समितियों की रैंकिंग और परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, ऐसे में निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य कर रैंकिंग पैरामीटर्स पर खरा उतरने का प्रयास किया जाए। श्रीमती राजपाल नेहरू सहकार भवन में राज्य के सभी पैक्स एवं केवीएसएस हेतु आयोजित एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को सम्बोधित कर रही थीं। यह कार्यशाला राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लि. (एसीईएल), राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लि. (एनसीओएल) एवं भारतीय बीज सहकारी समिति लि. (बीबीएसएसएल) की सदस्यता, एनसीडी पोर्टल पर

सोसायटियों के विवरण अपडेशन, रैंकिंग फ्रेमवर्क तथा पुरस्कार मानदण्डों के संबंध में आयोजित की गई। श्रीमती राजपाल ने कहा कि राज्य की सहकारी समितियों ने बड़े स्तर पर बीबीएसएसएल की सदस्यता लेकर अच्छी भागीदारी निभाई है। जबकि, एनसीईएल और एनसीओएल की सदस्यता में भी विगत दिनों में वृद्धि हुई है, जिसे निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता है। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित इन बहुराज्यीय सहकारी समितियों की सदस्यता राज्य की सहकारी समितियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक प्रकार का निवेश है जिसके आगामी दिनों में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में राजफेड द्वारा तीनों समितियों के साथ एमओयू किया गया है और सदस्यता प्राप्त करने वाली राज्य की कुछ सहकारी समितियों को इसका लाभ भी मिलने लगा है। अन्य समितियों को भी इनका लाभ मिले इसके लिए इनकी सदस्यता लिया जाना जरूरी है। इस अवसर पर सहायक निदेशक (सांख्यिकी) वर्षा मीणा, सहकार से समृद्धि' के कंसल्टेंट श्री आर.एस. जोधा उपस्थित रहे।

राजस्थान से 60 करोड़ रुपये का व्यवसाय संभावित

राष्ट्रीय स्तर पर गठित तीनों बहुराज्यीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा इस दौरान अपना प्रस्तुतीकरण दिया गया। एनसीओएल के श्री विनीत कुमार, बीबीएसएसएल के श्री जे.पी. सिंह, एनसीईएल की प्रतिनिधि आरूषि नायक ने बताया कि समिति द्वारा दलहन-तिलहन के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष समिति द्वारा 270 करोड़ रुपये से अधिक के व्यवसाय का लक्ष्य है, जिसमें राजस्थान से 60 करोड़ रुपये का व्यवसाय संभावित है। भारत के सहकारी निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए समिति का गठन किया गया है। उत्पादकों को अच्छा दाम मिले और किसानों की समृद्धि हो, इस दिशा में समिति द्वारा कार्य किया जा रहा है।

अवसायन कार्यवाही भी संभावित

श्रीमती राजपाल ने कहा कि सहकारी समितियों को प्रभावी भूमिका निभाने के लिए पारदर्शिता से कार्य किया जाना जरूरी है। जिन पैक्स में प्रथम एवं द्वितीय चरण

के अंतर्गत कम्प्यूटराइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है प्रविष्टियां ऑनलाइन होनी चाहिए। साथ ही, इन समितियों की ऑनलाइन ऑडिट भी अनिवार्य है। इस कार्य में सहयोग नहीं करने वाली पैक्स विभिन्न गतिविधियों में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगी तथा उनके विरूद्ध अवसायन जैसी कार्यवाही भी संभावित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर से संचालित की जा रही समस्त गतिविधियों में हम भागीदार बनें। एनसीडी पोर्टल पर डेटा को निरन्तर अपडेट किया जाए, जिससे पोर्टल पर प्रदर्शित राज्य की रैंकिंग में सुधार हो।

डूंगरवा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. डूंगरवा

पंचायत समिति - बागोड़ा, जिला - जालोर

सहकारी आंदोलन, किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित प्रगतिशील सहकारी सोसायटी

किसानों से अपील

- अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा कर, ब्याज मुक्त योजना का लाभ उठावें
- पशुपालक, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए समिति स्तर पर संपर्क करें।

2025 International Year of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

नरिंगाराम अध्यक्ष

बगदाराम व्यवस्थापक

एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण

सहकारिता का ध्येय वाक्य 'एक सब के लिए, सब एक के लिए'

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र
सांचौर (जिला-जालोर) सोमवार, 1 सितंबर 2025
4
RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136
Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

पैक्स और सीसीबी के मध्य बढ़ते असंतुलन को दूर करने वाली कमेटी खुद असंतुलित होकर रह गई

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में पैक्स के नाम से विख्यात हुई ग्राम सेवा सहकारी समितियां इन दिनों केवल कागजों में ही विकसित भारत का निर्माण करने में सहायक साबित हो रही हैं । यूं तो राज्य का सहकारिता विभाग अपनी मनमाफिक नीतियों से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उभारने प्रयास में लीन हैं । तभी तो राज्य में कभी-कभार अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस की संगोष्ठी में कागजी कार्यवाही में मॉडल स्टेट बनाने के दावे सुनाई पड़ते हैं । लेकिन आकड़ों पर नजर दौड़ाई जाएं, तो हकीकत कुछ ओर ही निकल कर सामने आ रही हैं । आज राजस्थान में 50 फीसदी ग्राम सेवा सहकारी समितियां में मानव संसाधन की कमी बनी हुई हैं । इतना ही नहीं फसली ऋण व्यवसाय में लागू बायोमेट्रिक पद्धति के बाजूवद सीसीबी और पैक्स में निरंतर असंतुलन बढ़ रहा हैं, यह हालात राज्य की एक या दो नहीं बल्कि एक तिहाई यानि 1800 से ज्यादा ग्राम सेवा सहकारी समितियां के हैं, जो बढ़ते असंतुलन के कारण कंगाली के दौर में पहुंच कर रह गई हैं । दरअसल, केंद्रीय सहकारी बैंकों और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मध्य बढ़ते असंतुलन को लेकर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता वाली दस सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था । लेकिन वह कमेटी भी जी हुजूरी की भेंट चढ़ रह गई । यही कारण हैं कि छिटपुट बैठकों के बावजूद उस कमेटी की पिछले दो साल से रिपोर्ट नहीं आ पाई हैं। संभवत: कमेटी भी सुझाव और असंतुलन को नियंत्रण करने के कारण जानने के लिए इच्छुक नहीं थी । शायद यही मंशा रही होगी, तभी तो कमेटी बनाने वाले अधिकारी के तबादले के बाद नये अधिकारी ने उस कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना तो दूर, पदस्थापन के बाद उस कमेटी की बैठक कार्यवाही भी सार्वजनिक नहीं की हैं । यहां तक कि उस कमेटी में शामिल सदस्यों को भी बैठक कार्यवाही का विवरण भी आज तक उपलब्ध नहीं करवाया गया हैं ।

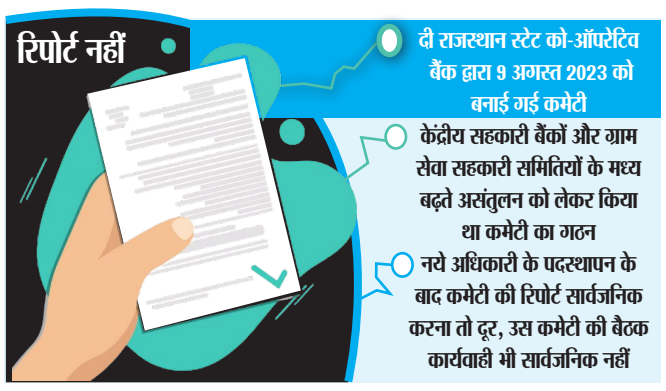

2 साल पहले कमेटी का गठन

प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मध्य बढ़ते असंतुलन के कारणों की जानकारी एवं उसे नियत्रिंत करने के लिए उपाय सुझावित करने के क्रम, दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक प्रबंध निदेशक द्वारा 9 अगस्त 2023 को 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई । जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष एवं अपेक्स बैंक से ही बैंकिंग सेक्टर के एक जानकार अधिकारी को बतौर सदस्य सचिव तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक, सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों सहित यूनियन के पदाधिकारियों को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया था ।

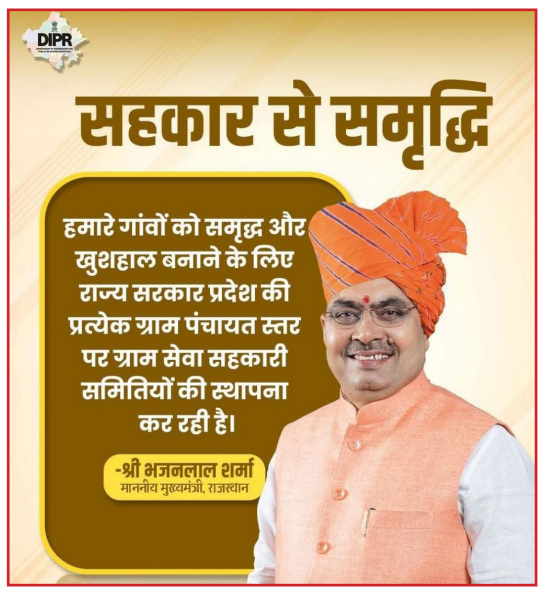

इफको उर्वरक के साथ उत्पाद टैगिंग नहीं करने को लेकर दिया पत्र

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करवाने और यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं को लेकर राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन की ओर से इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को -आपरेटिव लिमिटेड राजस्थान के राज्य विपणन प्रबंधक सुधीर मान को यूनियन जिला अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत के नेतृत्व में एक पत्र सौंपा गया । जिसके मुताबिक, जिले की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड की यूरिया एवं डीएपी की मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जाती हैं। साथ ही, पत्र में बताया गया कि यूरिया एवं डीएपी की आपूर्ति के समय अन्य उत्पादों की टैगिंग के चलते उत्पादों की बिक्री नहीं होती हैं, जिससे वह उत्पाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों में डम्प पड़े रह जाते हैं । जबकि, एफसीओ 1985 एवं उर्वरक संचलन आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आपूर्तिकर्ता एवं विनिर्माता कम्पनियों द्वारा यूरिया एवं डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं की जा सकती हैं । अब यूनियन ने जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मांग के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध करवाने और उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग नहीं करवाने की मांग की हैं। इस दौरान आहोर ब्लॉक अध्यक्ष खेतपालसिंह बालोत, तेजसिंह राजपुरोहित आदि मौजूद रहें ।

4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे सहकारी बैंकों को 40 करोड़ की राशि जारी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए किसानों को सरकार की ब्याज मुक्त योजना में अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया जाता हैं, जिसकी किसानों से समयबद्ध वसूली प्राप्त होने पर राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान और भारत सरकार से 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता हैं । इसके क्रम में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के उप महाप्रबंधक (परिचालन) रितेश जैन ने एक आदेश जारी कर बताया कि शीर्ष सहकारी बैंक में 29 सीसीबी के संधारित चालू खाते में 40 करोड़ राशि ट्रेजरी द्वारा सीधे जमा की गई हैं । साथ ही, 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे जारी राशि में से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों को देय 2 प्रतिशत मार्जिन राशि तत्काल जारी किए जाने के निर्देशित किया हैं ।

सर्वाधिक जयपुर को और न्यूनतम सिरोही को जारी राशि

प्रदेश के केंद्रीय सहकारी बैंकों को 40 करोड़ की राशि 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान पेटे जारी की गई हैं । यह राशि 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक प्राप्त वसूली के एवज में जारी की गई हैं । जिसके मुताबिक सर्वाधिक **जयपुर सीसीबी** को 2 करोड़ 90 लाख, **भीलवाड़ा सीसीबी** को 2 करोड़ 22 लाख, **बाड़मेर सीसीबी** को 2 करोड़ 14 लाख, **जोधपुर सीसीबी** को 2 करोड़ 6 लाख, **सीकर सीसीबी** को 2 करोड़ 4 लाख तथा **चित्तौड़गढ़ सीसीबी** को 1 करोड़ 95 लाख, **हनुमानगढ़ सीसीबी** को 1 करोड़ 78 लाख, **श्रीगंगानगर सीसीबी** को 1 करोड़ 77 लाख, **अलवर सीसीबी** को 1 करोड़ 74 लाख, **झालावाड़ सीसीबी** को 1 करोड़ 61, **कोटा सीसीबी** को 1 करोड़ 58 लाख, **बीकानेर सीसीबी** को 1 करोड़ 50 लाख, **पाली सीसीबी** को 1 करोड़ 50 लाख, **झुंझुनूं सीसीबी** को 1 करोड़ 42 लाख, **जालौर सीसीबी** को 1 करोड़ 38 लाख, **उदयपुर सीसीबी** को 1 करोड़ 18 लाख, **नागौर सीसीबी** को 1 करोड़ 17 लाख, **सवाई माधोपुर सीसीबी** को 1 करोड़ 15 लाख, **अजमेर सीसीबी** को 1 करोड़, **बूंदी सीसीबी** को 1 करोड़, इसी प्रकार **दौसा सीसीबी** को 95 लाख, **बारां सीसीबी** को 94 लाख, **टोंक सीसीबी** को 91 लाख, **भरतपुर सीसीबी** को 86 लाख, **चूरू सीसीबी** को 85 लाख, **बांसवाड़ा सीसीबी** को 68 लाख, **जैसलमेर सीसीबी** 59 लाख, **डूंगरपुर सीसीबी** को 45 लाख, **सिरोही सीसीबी** को 42 लाख की राशि आवंटित की गई हैं ।

यह ढांचा सहकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड से परामर्श के बाद किया गया है तैयार

सहकारी बैंकों के लिए आधार आधारित नई प्रणाली तैयार

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर सहकारी बैंकों को आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ढांचा तैयार किया है। जिससे बैंक की लोगों तक पहुंच बढ़ाने और डिजिटल समावेशन को काफी बढ़ावा मिलेगा। यह ढांचा सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-एनपीसीआई और सहकारी बैंकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। इससे देशभर के सभी 34 राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) और 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को लाभ होगा। नई प्रणाली के तहत, आधार सेवा

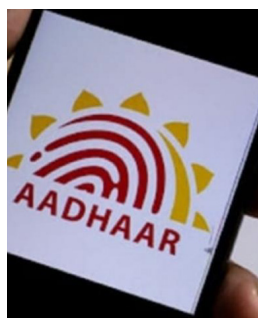

अपनाने की प्रक्रिया सरल और सस्ती बनाई गई है। इसमें केवल राज्यों के सहकारी बैंक ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों (एयूए) और ई-केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसियों (केयूए) के रूप में पंजीकृत होंगे। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अपने राज्य सहकारी बैंकों के आधार प्रमाणीकरण अनुप्रयोग और सूचना प्रोद्यौगिकी ढ़ांचे का निर्बाध उपयोग कर सकेंगे। इससे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को अलग से आईटी प्रणाली विकसित करने या रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इससे सहकारी बैंक आधार सेवाओं से ग्राहकों को तेज, अधिक सुरक्षित और सुगम सेवा प्रदान कर सकेंगे। बायोमेट्रिक ई-केवाईसी और चेहरे की पहचान से खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खाता खोलना आसान हो जाएगा। आधार के उपयोग से सब्सिडी और कल्याणकारी भुगतान सीधे ग्राहकों के सहकारी बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा सहकारी बैंकों को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और आधार पेमेंट ब्रिज जैसी सेवाओं का विस्तार करने, डिजिटल लेनदेन व्यापक बनाने और सहकारी क्षेत्र में वित्तीय समावेशन बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।

जिले में कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

श्रीगंगानगर, । वर्ष 2025-26 में स्थापित होने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु विचार-विमर्श करने के लिए कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. सतीश शर्मा की अध्यक्षता में कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, राजीविका, कृषक उत्पादक संगठन आदि की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ. शर्मा ने कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना हेतु आयोजित बैठक के संबंध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कस्टम हायरिंग सेंटर के नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी। इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, कृषक उत्पादक संगठन, आजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच कर उन्हें कृषि आयुक्तालय प्रेषित किया जाएगा। कृषि अनुसंधान अधिकारी श्री जगजीत सिंह संधूने कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियां, क्लस्टर लेवल फेडरेशन एवं कृषक उत्पादक संगठन को कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना हेतु अनुमानित परियोजना लागत राशि 30 लाख रुपए का अधिकतम 80 प्रतिशत (अधिकतम राशि रुपए 24 लाख रुपए) तक का अनुदान देय होगा एवं परियोजना लागत पर अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड के रूप में देय होगा। उन्होंने अनुदान पर दिए जाने वाले कृषि यंत्रों के चयन एवं निर्माता फर्मों के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजय गर्ग ने बताया कि बैंक ऋण से स्थापना की दिशा में अनुदान क्रेडिट लिंक्ड बैंक ऐडेड के रूप में देय होगा। उन्होंने जिले में सहकारिता विभाग में संचालित हो रहे कस्टम हायरिंग सेंटरों के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की बुकिंग हेतु राज किसान अप का इस्तेमाल करने के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर श्री दीपक कुक्कड़, श्री विकास चौधरी, श्रीमती पारस कवर, कृषक उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

किसान ऋण माफी योजना

धांधली पर प्रमुख सचिव से हाईकोर्ट ने मांगा शपथ पत्र

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जोधपुर. हाईकोर्ट ने किसान ऋण माफी योजना-2019 में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार के रवैये की आलोचना की है। कोर्ट ने कहा कि सरकार का रवैया ऐसा प्रतीत होता है मानो वह मामले को दबाने की कोशिश कर रही हो और कोर्ट के साथ भी सहयोग नहीं कर रही। मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम व न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह आदेश सिमरथाराम सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि किसान ऋण माफी योजना-2019 के नाम पर सहकारी समितियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई थी। अधिवक्ता निखिल डूंगावत ने दलील दी कि राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के 22 अप्रेल, 2024 के आदेश का पालन नहीं किया है। उस आदेश में कोर्ट ने सरकार को ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर गड़बड़ियों का पूरा ब्योरा, आपराधिक कार्रवाई और जांच की स्थिति, दोषी अधिकारियों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही, प्रत्येक वर्ष के हिसाब से हुए वित्तीय नुकसान का विवरण देने के निर्देश दिए थे। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक शपथ पत्र का उल्लेख किया, लेकिन कोर्ट ने पाया कि शपथ पत्र केवल 28 अगस्त, 2024 को दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुपालना से जुड़ा था, जबकि अप्रेल, 2024 के आदेश की पालना नहीं की गई। खंडपीठ ने सहकारी विभाग के प्रमुख सचिव को शपथ पत्र दाखिल करने और इसमें अप्रेल, 2024 के आदेश की पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को भी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।

सुनील वीरभान ने संभाला विशेष लेखा परीक्षक का कार्यभार

जालोर । विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर पद पर कार्यरत राजस्थान सहकारिता सेवा सहायक रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी महेन्द्रसिंह भाटी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए। जिसके उपरांत अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां खंड जोधपुर के आदेश की अनुपालना में उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां जालोर पद पर कार्यरत सहकारिता सेवा के अधिकारी सुनील वीरभान ने विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां जालोर का कार्यभार मध्यान्ह पश्चात ग्रहण किया । वही महेन्द्रसिंह भाटी के सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह के दौरान विभागीय अधिकारी, विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय कर्मचारी सहित राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसायटी कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमानसिंह राजावत एवं जिले के पैक्स व्यवस्थापक उपस्थित रहें ।

किसानों को डीबीटी के माध्यम से नहीं दिया जा सकता अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य में किसानों को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण डीबीटी के माध्यम से नहीं दिया जा सकता हैं, यह विधायक शंकरलाल डेचा के तारांकित प्रश्न के जवाब में सहकारिता विभाग द्वारा लिखित में बताया गया हैं । दरअसल, सागवाड़ा विधायक ने अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तातरित करने से संबंधित तारांकित प्रश्न 16वीं विधानसभा के तृतीय सत्र में किया था, जिसके प्रतिउत्तर में सहकारिता विभाग द्वारा लिखित जवाब दिया कि अल्पकालीन व दीर्घकालीन फसली ऋण राज्य सरकार के कोष से नहीं दिया जाने के कारण डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही, विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में डीबीटी के माध्यम से किसानों को ऋण मुहैया कराने का सरकार का कोई विचार नहीं हैं क्योकि अल्पकालीन व दीर्घकालीन फसली ऋण संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है।

विधानसभा में पचपदरा विधायक अरुण चौधरी के सवाल पर सहकारिता विभाग ने दिया जवाब

हानि से जूझ रही हैं सर्वोत्तम कार्य निष्पादन पुरष्कार प्राप्त वाली सीसीबी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राज्य की स्मार्ट सिटी जयपुर स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक को एक जमाने में टक्कर देने वाली बाड़मेर केंद्रीय सहकारी बैंक वर्तमान में अपनी एक नवीन शाखा नहीं खोल सकती हैं । क्योकि यह केंद्रीय सहकारी बैंक वित्तीय वर्ष 2024-25 तक शुद्ध हानि में चली गई हैं । ऐसा सहकारिता विभाग ने सोलहवीं विधानसभा के तृतीय सत्र में पचपदरा विधायक अरुण चौधरी के तारांकित सवाल के जवाब कहा हैं । असल में पचपदरा विधायक ने किटनोद, थोब, मूल की ढाणी ग्राम में केंद्रीय सहकारी बैंक की नई शाखा खोलने को लेकर सवाल किया, तो सहकारिता विभाग ने जवाब दिया कि विधानसभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम किटनोद व मूल की ढाणी में केंद्रीय सहकारी बैंक की नवीन शाखा खोलने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जबकि थोब ग्राम में केंद्रीय सहकारी बैंक को नवीन शाखा खोलने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक बाडमेर केंद्रीय सहकारी बैंक शुद्ध हानि में होने के चलते आरबीआई के मानदण्डानुसार नवीन शाखा खोलने के लिए पात्र नहीं हैं हालांकि जिले में किसानों को फसली सहकारी कर्ज देने वाली केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन और सहकारी अधिनियम को दरकिनार कर राज्य सरकार द्वारा पिछले सालों में प्रबंध निदेशक पद की कमान अपात्रों को देने के चलते हानि जैसे हालात बने हैं । जबकि किसानों को जरुरत के समय फसली ऋण में अग्रणी बैंक की भूमिका में केंद्रीय सहकारी बैंक मानी जाती हैं । इसी बैंक के अधीन 455 ग्राम सेवा सहकारी समितियां संचालित हैं जो बाड़मेर एवं बालोतरा के लगभग हर किसान से जुड़ी हुई हैं ।

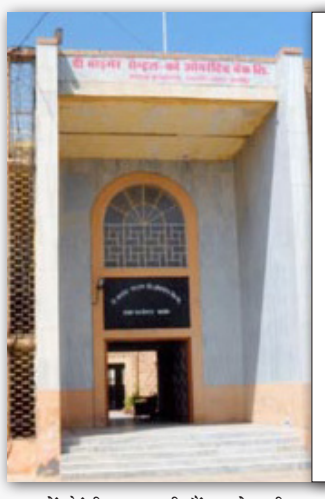

सीसीबी को दो बार मिल चुका पुरस्कार

राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम कार्य निष्पादन पुरष्कार के लिए वर्ष 1996-97 एवं वर्ष 2000-01 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर को सम्मानित किया हुआ हैं । साथ ही, राज्य सरकार की कृषक ऋण माफी योजना के तहत सर्वाधिक किसानों का कर्जा माफ भी इस सीसीबी के कार्यक्षेत्र हुआ था । यहां करीबन 1 हजार करोड़ से अधिक की कर्ज माफी दो सालों में हुई । लेकिन नाबार्ड एवं आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को दरकिनार कर प्रबंध निदेशक पद पर गत सालों में हुई अपात्र अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा पिछले 11 सालों से केंद्रीय सहकारी बैंक बाड़मेर में संचालक बोर्ड सदस्यों का चुनाव नहीं होना और कर्ज माफी के विलंब भुगतान पर राज्य सरकार स्तर से देय 8 प्रतिशत ब्याज रुप में 81 करोड़ की राशि बकाया होना भी हानि का बड़ा कारण बताया जा रहा हैं ।

सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की स्थगित निर्वाचन प्रक्रिया अब तक नहीं हो पाई प्रारंभ

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

बूंदी । जिले में सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के निर्वाचन 18 अगस्त को स्थगित किए गए थे । यहां राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति निर्वाचन अधिकारी गुणवंत मीणा ने जिला कलेक्टर बूंदी के पत्र के क्रम में निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की थी । दरअसल, राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के प्राधिकारी इन्द्रराज मीणा द्वारा बून्दी सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार में चुनाव संपन्न करवाने के लिए विशेष लेखा परीक्षक सहकारी समितियां बूंदी गुणवंत मीणा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कर चुनाव कार्यक्रम जारी किया था । जिसके अनुसार 18 अगस्त को निर्वाचन का नोटिस एवं प्रस्तावित मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना

था । इसके क्रम में पुलिस विभाग से कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस जाप्ता की मांग की गई । परंतु जिले में कजली तीज मेला-2025 होने के कारण जिला कलेक्टर बूंदी ने निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखकर बून्दी क्षेत्र में पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवाने में असमर्थता जताई। साथ ही, जिला कलेक्टर ने पत्र में बूंदी जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार के संचालक मण्डल स्वयं के स्तर से निर्वाचन संबंधी आगामी निर्णय लेने अथवा स्थगन की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र बताया । जिसके पश्चात निर्वाचन अधिकारी ने सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 34 (6) के अन्तर्गत आगामी तिथि तक निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया हालांकि प्राप्त जानकारी के मुताबिक बून्दी जिले में कजली तीज महोत्सव-2025 का आयोजन 12 अगस्त से 26 अगस्त, 2025 तक किया गया, यानि कजली तीज का मेला अब जिले में पूर्ण हो गया हैं । लेकिन आज दिन तक पुन: निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने को लेकर कोई कवायद नहीं हुई हैं । जबकि सहकारी संस्थाओं में समयबद्धता से चुनाव करवाने को लेकर विभाग स्तर से सूचना तंत्र के माध्यम से आए दिन प्रसारण करवाया जाता हैं ।

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा तह. चितलवाना जिला-जालोर (राज.) 343041 से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर (जिला-जालोर) से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।